

राजस्थान सरकार
राजस्व हाउप-६ हीमांग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांकट- प. ६४१३४ राज-६/७७/ ८

जयपुर, दिनांक:- १४.५.९९

-: परिपत्र :-

विषय :- जन अभियोग निराकरण, १९९९

माह मई-जून, १९९९ में महिनों में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जो भूमि आवंटन स्वं नियमितकरण समितियाँ की बैठके आयोजित करने बाबत आपको परिपत्र भेज गये हैं उसके संदर्भ में यह सुनिश्चित करते हैं कि बैठके निश्चित रूप से पूरे जिले में आयोजित करली जाए। पूर्व में प्रशासनिक आपेक्षा द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि इन बैठकों में ऐत्रीय विधायक महोदय की उपस्थिति अनिवार्य होगी किन्तु कई स्थानों से यह जानकारी मिली है कि इस पाबन्दी के कारण अनेक बैठके नहीं हो पाती हैं। अतः इसमें यह संशोधन किया जा रहा है कि बैठकों की सूचना ऐत्रीय विधायक महोदय को पर्याप्त समय पूर्व आंवश्यक रूप से की जाए और उन्हें सूचना पहुंचाना भी सुनिश्चित कर लिया जाए। इसके उपरान्त भी किन्हीं कारणों से विधायक महोदय बैठक में नहीं पहुंच जाएं तो बैठक स्थगित नहीं की जाए। यदि सीमीत की बैठकों की सूचना स्थानीय पत्रों में दी जा सके तो वह उपयोगी होगा।

पूर्व में निर्दिष्ट छिपा व्यवस्था के अनुसार जिस पंचायत बैठक में भूमि आवंटन अध्या नियमितकरण होना है उसके पंचायत मुख्यालय पर बैठक की जानी चाहिए। इसमें यह परिवर्तन किया जा रहा है कि बैठक पंचायत मुख्यालय अध्या निरदायर सर्किल मुख्यालय पर रखी जा सकेगी।

संजय कीर्ति
विप्रिष्ठ जातन सीचब, राजस्व

मनोज